माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./गोपनीय/उ.मा/2025/8949 दिनांक :– 04/01/2025

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय,

विषय–उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा–2025 बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अतः आपके अधीनस्थ शाला प्रधानों को तदनुसार सूचित करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड नियमानुसार सम्पादित कराने का श्रम करावें :–

1. वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 09 जनवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 के मध्य एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 01 फरवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 के मध्य सम्पादित की जायेंगी।
2. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों को सामग्री यथा उत्तर–पुस्तिकाएँ, ग्राफ पेपर, ड्रॉईंग शीट्स आदि बोर्ड द्वारा बनाये गये वितरण केन्द्रों पर भिजवाई जायेगी/जा रही है। शाला प्रधान इन केन्द्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त करें।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की विषयवार प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत विषयाध्यापकों से सम्पन्न कराई जायेगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार परीक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आई.डी. पर भिजवाई जा रही है। संबंधित शाला प्रधान नियुक्त परीक्षकों से उनके मोबाइल नं. पर अविलम्ब सम्पर्क कर परीक्षा की तिथियों का शीघ्र निर्धारण करे, ताकि समय पर प्रायोगिक परीक्षा सम्पादित करवाई जा सके।
4. प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किये गये हैं। शाला प्रधान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा के निर्देशों की एक प्रति संबंधित परीक्षक को भी उपलब्ध करावें।
5. प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण की सूचना विद्यालय द्वारा उनके विद्यार्थियों को सूचित करावें एवं एक प्रति विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा करावें। परीक्षक से निर्धारित तिथि की सूचना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कक्ष पर कम से कम तीन दिन पूर्व सूचित करावें तथा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर भी सूचित करें। समस्त बाह्य परीक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर देंगे।
6. उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ लेने हेतु नियुक्त किया गया है। अतः सभी विद्यालय परीक्षक से सामन्जस्य बैठाकर परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें। परीक्षकों की नियुक्ति शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी। **यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उसी के विद्यालय में होती है तो इसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष पर तुरन्त दी जाये ताकि समय रहते उनके आवंटन में परिवर्तन किया जा सके।**
7. **समस्त बाह्य परीक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारम्भ, परीक्षा के दौरान व परीक्षा की समाप्ति की एक–एक सेल्फी/फोटो बोर्ड की ई–मेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com पर ई–मेल पर प्रेषित करेंगे। ई–मेल के सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक व परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एन्ड्रॉईड फोन में लाईव लॉकेशन एप्स जिसमे दिनांक, समय व स्थान का अंकन होता है यथा जीपीएस मेप कैमरा को इन्सटॉल कर फोटोग्राफ ली जा सकती है।**
8. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक से उसी विद्यालय में लिये जा रहे अन्य बैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जायेगा जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एवं इसकी सूचना विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा कराऐं।

कृ.प.उ.

9. प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन दो बैचों में सम्पन्न करावें, किन्तु यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो परीक्षा तीन बैच में भी सम्पन्न कराई जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा में उचित दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाये।

10. **अनुचित साधन** :– परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, दुराचरण, दुर्व्यवहार आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपार्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्टतः अवगत करा दें व इनका उल्लघंन किये जाने पर दी जाने वाली सजा व शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दें कि इसी के साथ–साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी व नियमानुसार दण्डित होंगे। सूचनापट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में "अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000/– तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा" लिख दें। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित है।

11. **मीडिया** :– शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी भी प्रकार की जानकारी/वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी चाहे जाने पर बोर्ड सचिव से सम्पर्क करने हेतु निवेदन कर दें। परीक्षा की समस्त सूचनाएँ गोपनीय रखी जावें।

12. विद्यालय/बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही करता है तो ऐसी शिकायतें/सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा दौरान बोर्ड को ई–मेल आई. डी. bserconf2018@gmail.com एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 पर सूचित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जायेगा।

13. समस्त बाह्य परीक्षक उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी विद्यालय में नहीं करेंगें। बैच के सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के तीन दिवस में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक पर ऑनलाईन अंक भिजवायेंगे तथा उत्तर–पुस्तिकाऐं उन्हें आवंटित बैच के सभी विद्यालयों की परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के 07 दिवस में बोर्ड को पंजीकृत डाक/पार्सल स्पीड पोस्ट से भिजवायेंगे।

14. बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक को ऑनलाईन अंक भरने हेतु SMS से परीक्षक क्रमांक की सूचना भिजवाई जायेगी तथा लॉगिन करने के लिए परीक्षक क्रमांक व मोबाईल नम्बर प्रविष्ठ करना होगा। प्रविष्ठि करने पर परीक्षक के मोबाईल पर OTP आयेगा। इसके पश्चात् परीक्षक को अपनी प्रोफाईल भरनी होगी तथा प्रोफाईल भरने के बाद ऑनलाईन अंक भरें जायेंगे। इसकी विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट पर प्रपत्र संख्या 51 के साथ अपलोड की गई है। परीक्षक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये गये अंकों की हार्डकॉपी लिफाफा नं. (18-C) में एवं उपस्थिति पत्रक तथा कच्चे अंक लिफाफा नं. (15) में रखें जायेंगे। इन दोनों लिफाफों को बोर्ड द्वारा भेजे अन्य लिफाफे में रखकर अपना विषय एवं परीक्षक क्रमांक पूर्ण अंकित करते हुए निदेशक (गोपनीय), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से तुरन्त भिजवायेंगे।

15. परीक्षक को आवंटित विद्यालयों के बनाये गये बैच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

16. बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जायेगा। किसी भी विद्यालय अथवा परीक्षक द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करता हुआ पाये जाने पर उसके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

17. प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अथवा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 व तकनीकी समस्या (आई.टी. संबंधित) के समाधान हेतु दूरभाष 0145–2632865, 2627454 तथा प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाऐं, ड्राईग शीट्स आदि के संबंध में दूरभाष संख्या 0145–2623949 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से भी दी जायेगी। अतः समस्त शाला प्रधान एवं नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

18. प्रायोगिक परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में भी परीक्षा प्रारम्भ से परीक्षा समाप्ति तक गतवर्षों अनुसार प्रायोगिक परीक्षा, नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेंगे। जिनमें दो लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी देंगे। कार्यरत लिपिक को रू. 100/– प्रतिदिन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू. 50/– मानदेय देय होगा। उक्त मानदेय का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्ड द्वारा देय होगा। **अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सभी निर्देशों की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित करावें।**

भवदीय

निदेशक (गोपनीय)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :गोप./प्रायोगिक परीक्षा–2025/8950 दिनांक :– 04/01/2025

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय

विषयः– प्रायोगिक परीक्षा–2025 के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ते गठन करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान बोर्ड की वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक की प्रायोगिक परीक्षायें 09 जनवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 तक आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं में जिला स्तर पर बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जा रही है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं का निरीक्षण कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने वर्ष–2025 की प्रायोगिक परीक्षाऐं शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो इस हेतु कारगर एवं ठोस कदम उठाने हेतु निर्देशित किया है। हमारा दायित्व भी बनता है कि जिले में सम्पन्न हो रही प्रायोगिक परीक्षाओं का सघन निरीक्षण किया जाए। अतः आपसे आग्रह है कि परीक्षाऐं सुचारू एवं शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न हों। इस हेतु निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें –

1. निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में संबंधित विषय/विषयों की प्रयोगशालाऐं निर्धारित मापदंड़ानुसार बनी हुई है। विद्यालय में प्रयोगशाला निर्धारित मापदंड़ानुसार नहीं पाए जाने से उस विद्यालय की संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक से ही निकटतम राजकीय विद्यालय में कराने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करे की विषयवार प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न हो रही है एवं परीक्षार्थी भी प्रायोगिक परीक्षा दे रहे है। निरीक्षण के दौरान कोई अवांछित गतिविधियां अथवा गम्भीर अनियमितता पाई जाए अथवा परीक्षार्थी/विद्यालय/परीक्षक द्वारा कोई शिकायत लिखित में की गई है तो इसका विवरण अपनी रिपोर्ट/अनुशंषा में बोर्ड के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0145–2620739, 2623776 व ई–मेल bserconf2018@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करें/सूचित करावें।
3. निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना है कि परीक्षाएं बोर्ड नियमानुसार/निर्देशानुसार सम्पन्न हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि सम्पन्न हो रही परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होवे, यदि कोई कमी पाई जाती है तो नियुक्त बाह्य परीक्षक/शाला प्रधान को आवश्यक निर्देश दे सकते है एवं उसकी प्रति अपने पास रखे।
4. **निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि समस्त बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारम्भ, परीक्षा के दौरान व परीक्षा की समाप्ति की एक–एक सेल्फी फोटोग्राफ बोर्ड की ई–मेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com पर ई–मेल पर प्रेषित की जा रही है। ई–मेल के सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक व परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एन्ड्रॉईड फोन में लाईव लॉकेशन एप्स जिसमे दिनांक, समय व स्थान का अंकन होता है यथा जीपीएस मेप कैमरा को इन्सटॉल कर फोटोग्राफ ली जा सकती है।**

कृ.प.उ.

5. विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं का विशेष रूप से निरीक्षण करें, किन्तु यदि विद्यालय में अन्य विषयों की भी प्रायोगिक परीक्षा चल रही है तो उनका भी निरीक्षण कर लेंवे।

6. परीक्षकों को प्रायोगिक परीक्षाऐं विद्यालय में उपलब्ध विषय की लेब/प्रयोगशाला की क्षमता अनुसार दिन में दो पारियों में सम्पादित कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु जिन विद्यालयों में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है एवं लैब की पर्याप्त क्षमता है, उन विद्यालयों में तीन बैच में भी परीक्षा सम्पादित की जा सकती है। आकस्मिक निरीक्षण एक अथवा दोनों पारियों में स्व–विवेक से किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा के निरीक्षण के साथ विद्यालयों की लैब का भी निरीक्षण करें कोई कमी पाई जावे तो लिखित में शाला प्रधान को आवश्यक निर्देश दिए जावे।

7. विद्यालय में चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं का गहन निरीक्षण कर, संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र में भर कर बिल के साथ बोर्ड को प्रेषित की जाए।

निर्णयानुसार सभी जिलों में (नवगठित जिलों सहित) दो उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे। पहला उड़नदस्ता **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी** के द्वारा गठित किया जायेगा। इसमें संयोजक सहित तीन शिक्षाविद् होंगे। इस उड़नदस्ते में बतौर संयोजक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं हो सकते है या उनके द्वारा नामित कोई शिक्षा अधिकारी संयोजक होगा। अन्य दो सदस्य राजपत्रित शिक्षक होंगे जो प्रायोगिक विषयों के बारे में जानकारी रखते हो अथवा उनका शिक्षण कराते हो। दूसरा उडनदस्ता **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय** के द्वारा गठित किया जायेगा। इन उड़नदस्तों के संयोजक उक्त अधिकारी हो सकते है या उनके द्वारा नामित कोई अन्य राजपत्रित शिक्षा अधिकारी। उड़नदस्तों में बतौर दो अन्य सदस्य राजपत्रित शिक्षक होंगे जो प्रायोगिक परीक्षा के विषयों के संबंध में जानकारी रखते हो।

इन उड़नदस्तों को राज्य सरकार की मासिक संविदा दर के आधार पर वाहन लेने के अधिकतम एक माह के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि किसी उड़नदस्ते का संयोजक अपने निजी वाहन का उपयोग करेगा तो उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित 10/– रूपये प्रति कि.मी. की दर पर भुगतान किया जायेगा। इन सभी उड़नदस्तों को लॉगबुक भरना अनिवार्य होगा।

निरीक्षण दल के संयोजक को बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय 700/– रूपये और सदस्यों को 600/– रूपये प्रतिदिन देय होगा। राज्य सरकार की यात्रा नियमों के अनुसार दैनिक भत्ते अथवा मानदेय दोनों में से एक का भुगतान संबंधित कार्मिक के विकल्प पर किया जायेगा।

निरीक्षण रिपोर्ट के रिक्त प्रपत्र, यात्रा व्यय बिल संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं। निरीक्षण रिपोर्ट, वाहन व्यय के बिल परीक्षा समाप्ति पश्चात् निदेशक, गोपनीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम परीक्षा समाप्ति के एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से पंजीकृत स्पीड पोस्ट से भिजवायें।

कैलाश चन्द्र शर्मा
सचिव

मा.शि.बो. /गोप-उ.मा./ 20.....

गोपनीय प्रपत्र – 55

जिले का नाम _____ विद्यालय कोड _____

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

विद्यालय में सम्पन्न प्रायोगिक परीक्षा का गोपनीय निरीक्षण प्रपत्र

1. निरीक्षणकर्त्ता का पूरा नाम .....
   पद व पदस्थापन .....
   मोबाईल नं. ..... ई-मेल .....
2. विद्यालय का पूरा नाम जिसकी प्रायोगिक परीक्षा का निरीक्षण किया गया .....
   .....
   विद्यालय कोड ..... विद्यालय दूरभाष नं. .....
   शाला प्रधान का नाम ..... मोबाईल नं. .....
3. बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक का नाम .....
   विषय ..... मोबाईल नं. ..... परीक्षक संकेतांक .....
4. विषय से संबंधित आंतरिक परीक्षक का नाम .....
5. प्रायोगिक परीक्षा का विषय ..... कुल परीक्षार्थियों की संख्या .....
6. विद्यालय में पहुंचने की दिनांक ..... समय .....
7. प्रायोगिक परीक्षा आरम्भ होने की दिनांक ..... समय .....
   प्रायोगिक परीक्षा समाप्ति की दिनांक ..... समय .....
8.

प्रायोगिक परीक्षा विषय	पंजीकृत परीक्षार्थी सं.	बनाए गए समूह (बैच सं.)	प्रायोगिक परीक्षा कितने दिनों में सम्पन्न हुई।	अनुपस्थित परीक्षार्थी सं.
.....	.....	.....	.....	.....

9. क्या प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय एवं बाह्य परीक्षक द्वारा निर्धारित तिथि पर आरम्भ की (हाँ/नहीं)
10. प्रायोगिक परीक्षा निर्विघ्न रूप से आरंभ हुई (हाँ/नहीं)
11. प्रयोगशाला व्यवस्थित रूप से पाई गई एवं परीक्षाएं सुचारू एवं संतोषजनक रूप से सम्पन्न हुई (हाँ/नहीं)
12. परीक्षाओं के दौरान प्रयोगशाला में शाला प्रधान, बाह्य परीक्षक, आन्तरिक परीक्षक, प्रयोगशाला, सहायक, प्रयोगशाला सेवक एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया (हाँ/नहीं)
    इस संबंध में अन्य स्थिति .....
    .....
13. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ अथवा कोई उपद्रव अथवा कोई अप्रत्याशित घटना जिससे परीक्षा बाधित हुई हो
    विवरण .....
    व्यवधान के निवारण के लिये किये गए प्रयास .....
14. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित किसी छात्र/अभिभावक/ जनप्रतिनिधि द्वारा कोई शिकायत की गई (हाँ/नहीं)
    यदि लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है तो उसका विवरण
    .....
    .....

14. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित किसी छात्र/अभिभावक/
जनप्रतिनिधि द्वारा कोई शिकायत की गई (हाँ/नहीं)
यदि लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है तो उसका विवरण

.....

.....

15. प्रायोगिक परीक्षा में कोई सामूहिक नकल पाई गई ..... (हाँ/नहीं)
इस संबंध में वांछित जानकारी एवं इसे रोकने के क्या प्रयास किए गए

.....

.....

16. विद्यालय द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक रजिस्टर में संधारण/इन्द्राज किया गया है।..... (हाँ/नहीं)

17. आयोजित परीक्षा संबंध में कोई टिप्पणी / सुझाव आदि।

.....

.....

.....

.....

.....

संयोजक.....	सदस्य	सदस्य .....
पूरा नाम	पूरा नाम	पूरा नाम .....
मो.नं.	मो.नं.	मो.नं. .....

दिनांक .....

विशेष सूचना

यदि परीक्षा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगत हो तो निम्न नियमों में वर्णित निम्न प्रावधानानुसार कार्यवाही करावें :-

1. प्रायोगिक परीक्षाएं निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित आयोजित होना आवश्यक है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रभावित किये जाने का प्रयास किया जाता है अथवा सुविधाओं आदि की मांग की जाती है अथवा प्रलोभन देने की बात की जाती है तो यह सर्वथा अनुचित एवं नियम विरूद्ध है। यदि कोई नियम विरूद्ध अन्यथा गतिविधि होती है अथवा प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है अथवा प्रभावित किया जाता है तो अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग में लिखित में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) एवं बोर्ड को तथ्यों, आधारों, प्रमाणों सहित ई-मेल से सूचना दें।
2. परीक्षक को विद्यालय के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) एवं बोर्ड को भी तथ्यों, आधारों व प्रमाणों सहित लिखित सूचना ई-मेल / दूरभाष पर दें।
3. परीक्षा सम्पन्न कराने क बाद तथा परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा जिसे दुर्भावनावश शिकायत करना माना जायेगा संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा।
4. परीक्षा आयोजन संबंधित शाला प्रधान, बाह्य व आंतरिक परीक्षकों के लिये संलग्न विस्तृत निर्धारित प्रक्रिया/नियम-निर्देश (गोपनीय प्रपत्र-51) में अंकित है। कृपया इनका अवलोकन कर तदनुरूप कार्यवाही करें । यह निर्देश बोर्ड द्वारा सभी परीक्षकों एवं शाला प्रधानों को भी प्रेषित किये गये हैं।

बिल रजिस्टर में पृष्ठ संख्या ..... क्रमांक ..... पर प्रविष्टि की। भुगतान वाउचर संख्या .....

परीक्षक पंजीयन संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ] अवश्य भरें। केन्द्र संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

केन्द्र का नाम ..... केन्द्र पर नियुक्ति पद .....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

यात्रा - भत्ता बिल

मूल वेतन रू. .....

1. नाम (हिन्दी में) .....(अंग्रेजी में) ..... (CAPITAL LETTER)
2. पद व पता (वर्तमान) .....
3. यात्रा का उद्देश्य .....
4. चैक भेजने का पता (सुपाठ्य अक्षरों में) .....
5. बैंक खाता संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] बैंक IFSC कोड [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
6. बैंक का नाम ..... शाखा .....
7. मोबाईल नं. .....

यात्रा का विवरण						रेल द्वारा यात्रा करने पर प्रथम/ द्वितीय श्रेणी		सड़क द्वारा यात्रा (बस से) करने पर		दूरी कि.मी.	प्रासंगिक व्यय		देय दैनिक भत्ता		योग राशि	
प्रस्थान			पहुँच													
स्थान	दिनांक	समय	स्थान	दिनांक	समय											
1	2	3	4	5	6	7 रू.	पै.	8 रू.	पै.	9	10 रू.	पै.	11 दिन	रकम	12 रू.	पै.
					योग											

दिनांक ..... राशि अंकों में ..... भुगतान प्राप्त किया हस्ताक्षर .....

नोट :-
1. भिन्न प्रकार की यात्राओं (रेल / बस / टेक्सी) के लिए पृथक प्रविष्टिया करें।
2. निरीक्षण अथवा बैठक का नाम तथा तिथि का उल्लेख करें।
3. रेल/बस से यात्रा करने पर सम्बन्धित श्रेणी का टिकट एवं टिकट नं. का स्पष्ट उल्लेख करें अन्यथा बोर्ड द्वारा निर्धारित रू. 1.00 प्रति कि.मी. की दर से भुगतान देय होगा।
4. केन्द्राधीक्षक / अति. केन्द्राधीक्षक के पदस्थान से केन्द्र पर नियुक्ति की दूरी का प्रमाणीकरण जि.शि.अ. द्वारा प्रमाणित कराकर भिजवाए। 15 किमी. से कम दूरी की यात्रा का भुगतान नियामानुसार देय नहीं है।
5. यात्रा बिल के साथ स्वयं के बैंक खाते का निरस्त चैक अनिवार्यत: संलग्न करें जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम, IFSC Code तथा A/c No. का उल्लेख हो।

रू. ..... पै. ..... नकद प्राप्त किए

हस्ताक्षर राशि प्राप्तकर्ता

यात्रा व्यय मद .....

रू. ..... पै. ..... (अंके) रू. .....

..... मात्र का भुगतान करें।

सहायक निदेशक (लेखा)

चैक संख्या ..... दिनांक ..... से भुगतान किया।

बोर्ड या उसकी समितियों के सदस्यो, निरीक्षण हेतु, निरीक्षको, परीक्षको एवं अन्य व्यक्तियों को जो बोर्ड के कार्य से यात्रा करें, यात्रा भत्ता निम्नानुसार दरो से मिलेगा :-

(1) रेल से सम्बद्ध स्थानों की यात्रा के लिए :- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमानुसार (बोर्ड द्वारा स्वीकृत) मूल वेतन के आधार पर देय श्रेणी का रेल भाड़ा।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैनें ..... से ..... तक यात्रा रेल द्वारा II ए.सी. / III ए.सी. / प्रथम श्रेणी में की है / वापसी यात्रा भी II ए.सी. / III ए.सी. / प्रथम श्रेणी से ही करूंगा। अगर वापसी यात्रा हेतु II ए.सी. / III ए.सी. / प्रथम श्रेणी में स्थान नहीं मिलेगा तो प्राप्त की गई राशि लौटा दूंगा। जो टिकट मैंने लिया था उसके नं. ..... है। टिकट राशि रुपये ..... पैसे ..... हैं।

.....

(हस्ताक्षर मय पद)

ऐसी परिस्थिति में जब II ए.सी. / III ए.सी. / प्रथम श्रेणी में स्थान उपलब्ध न हो सके तो उस श्रेणी (द्वितीय) के एक टिकट का किराया जिसमें वस्तुतः यात्रा की गई हो एवं उक्त दर पर प्रासंगिक व्यय तथा शयन स्थान (स्लीपिंग बर्थ) का प्रभार, यदि उसका वास्तव में उपयोग किया गया हो तो देय होगा। रेल से जुड़े स्थानों के लिए **बस से यात्रा करने पर भी 1.00 रूपया प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता देय होगा। ऐसी दशा में प्रासंगिक व्यय देय नहीं होगा।**

ध्यातव्य :- (1) जब दोनों स्थानों के बीच दो मार्गों से यात्रा करना संभव हो और यात्रा निकटतम मार्ग की अपेक्षा लम्बे मार्ग से की जाये तो अध्यक्ष वास्तविक लम्बे मार्ग से की गई यात्रा का व्यय भी दे सकते हैं, यदि आवश्यक जांच करने के पश्चात् सन्तोष हो जाये कि लम्बे मार्गो से यात्रा करने से समय की पर्याप्त बचत हुई है।

(2) बोर्ड या उसकी समितियों के सदस्य की, यदि उसने अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से अपनी कार या इस निमित्त किराये पर टैक्सी से (न कि बस से) यात्रा की हो तो, इस हेतु निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऐसी यात्रा का सड़क भत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से प्रति किलोमीटर देय होगा।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है मैंने ..... से ..... तक व वापसी की यात्रा कार टैक्सी नं. ..... द्वारा दिनांक ..... को की है एवं मैंने बस से यात्रा नहीं की तथा कार /टैक्सी में मेरे साथ अन्य किसी ने भी यात्रा नहीं की/वाहन का सम्पूर्ण व्यय मैंने वहन किया है।

दिनांक .....

.....

(हस्ताक्षर मय पद)

(2) सड़क यात्रा, रेल यात्रा के साथ सड़क यात्रा के लिए :- ऐसे व्यक्ति को जो अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति से अपनी कार में अथवा किराये पर ली गई टैक्सी में यात्रा करे तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र यथा टोल रसीद / यात्रा व्यय का बिल अवश्य प्रस्तुत करे इस हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों से भुगतान किया जाएगा। कार/टैक्सी/स्कूटर से यात्रा करने के लिए अध्यक्ष महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। बस द्वारा यात्रा करने पर 1.00 रूपया प्रति किलोमीटर सड़क भत्ता देय होगा।

(3) रेल अथवा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अपने घर से रेल्वे स्टेशन अथवा बस स्टेण्ड और गन्तव्य स्टेशन से कार्य स्थल पर पहुंचने के लिए तथा इसी प्रकार वापसी यात्रा के लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियमानुसार (बोर्ड द्वारा स्वीकृत) वेतनमान संवर्ग के आधार पर वाहन व्यय देय होगा।

(4) **दैनिक भत्ता :-** निरीक्षण करने, बोर्ड या उसकी समितियों में उपस्थित होने, परीक्षा लेने अथवा निर्धारित कार्य करने के दिनों का दैनिक भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियमानुसार (बोर्ड द्वारा स्वीकृत) मूल वेतन के आधार पर देय होगा। स्थानीय बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को कुल रू. 90/- वाहन व्यय देय (आने व जाने का) होगा।

(5) जिन मामलों में राज्य सरकार के नियमानुसार भुगतान का निर्देश होगा उनमें तदानुसार भुगतान किया जायेगा।

बोर्ड कर्मचारियों को बोर्ड सेवा नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जावेगा।

टिप्पणी :- एक वर्ष बाद प्राप्त बिलों में से 10 प्रतिशत तथा एक से अधिक वर्षों बाद प्राप्त बिलों में से 25 प्रतिशत राशि काट कर भुगतान किया जायेगा। तीन वर्ष बाद प्राप्त किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।